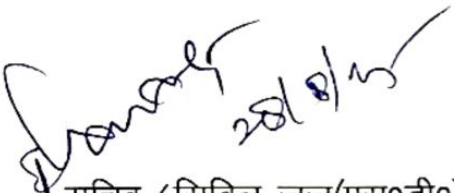


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत।

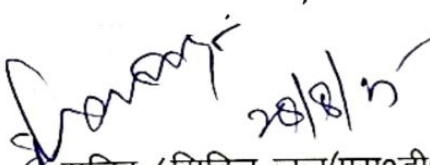
विज्ञप्ति

माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पत्रांक 2412/यू0के0सालसा/2024 के अनुपालन में जनपद चम्पावत में एक गांव एक निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र अभियान के तहत प्रत्येक गांव में से एक-एक निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र (प्रो-बोनो पी0एल0वी0) नियुक्त किया जाना है। जिसमें जिले के प्रत्येक गांव में से कोई भी इच्छुक व्यक्ति या ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य/ वन पंचायत चम्पावत, द्वारा जो भी निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र (प्रो-बोनो पी0एल0वी0) के रूप में नियुक्त किये जाएंगे, उनके द्वारा अपने गांव में निःशुल्क कानूनी सहायताएं एवं कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी तथा इस कार्य के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत द्वारा उनको सहयोग किया जाएगा।

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार संलग्न प्रारूप में आवेदन भरकर डाक या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत में सीधे उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं।


सचिव/सिविल जज(एस0डी0),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चम्पावत।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

नोट— चम्पावत क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित की उक्त विज्ञापन को प्रकाशित करवायें


सचिव/सिविल जज(एस0डी0),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चम्पावत।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चम्पावत।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत

आवेदन पत्र:- निःशुल्क पी0एल0वी0/अधिकार मित्र (प्रो बोनो पी0एल0वी0) हेतु

आवेदक अपना
नवीन फोटो
चस्पा करें।

- 1- आवेदक का नाम-.....
- 2- पिता/पति का नाम-
- 3- जन्म तिथि-
- 4- शैक्षिक योग्यता-
- 5- स्थाई पता-
.....
.....
- 6- पत्र व्यवहार का पता-.....
.....
.....
- 7- फोन नम्बर (हॉटसैप नं0 दर्ज करें)-
- 8- ई-मेल आई डी0-
- 9- स्थान-

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- आधार कार्ड एवं स्थाई निवास की छायाप्रति भी संलग्न करें।